

राज्य लोक अदालत नाम अधिनियम के अंतर्गत  
 के अंतर्गत पक्षों को लॉटरी जारी होने के  
 बाद पत्रावली द्वारा राज्य लोक अदालत  
 स्थल सेल केन्द्र गुणगुण पाठोली पर  
 पेशा हुआ। वादीगण ने से वास्तुवाल व  
 प्रतिवादीगण ने से प्रतिवादी नं 2 व 3  
 उपस्थित हुए दोनों पक्षों को सुना गया।  
 दोनों पक्षों के बीच विवाद शास्त्रों से  
 लेकर है। पत्रावली द्वारा से राज्य  
 न्यायाधीश को तलब कर दोनों पक्षों  
 को बताया गया कि प्रतिवादीगण के  
 उनके उत्तरदायी में जाने का शास्त्रवादीगण  
 की प्रति में से न होकर तलाक की वजह  
 से आने जाने का शास्त्र है प्रतिवादीगण  
 को फावदा दिया गया कि वे वादीगण  
 की उत्तरदायी में इस्तेमाल नहीं करें।  
 यदि प्रतिवादीगण अपने खेत पर अपना  
 जाना चाहे तो वादीगण की उत्तरदायी  
 से ही मेर के लिये 2 आजा तलब है।  
 अतः बाद इसी सम्मति से निश्चित  
 किया जाता है पत्रावली के अनुसार दोनों  
 तलब के रूप में न्याय दफ्तर काजिले से

पत्रावली

पत्रावली

पत्रावली